आवश्यक / **समयबद्ध**

संख्या: 03/2017/269/12-2-2017-91/2013

प्रेषक,

पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2017

विषय: खरीफ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अनुदान पर वितरित संकर धान, संकर मक्का, संकर ज्वार एवं संकर बाजरा के बीजों के लंबित भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: 2776/12-2-2015-91/2013 दिनांक 07 अगस्त, 2015 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा खरीफ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अनुदान पर वितरित संकर धान, संकर मक्का, संकर ज्वार एवं संकर बाजरा के बीजों के वितरण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों पर निम्नवत जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं:-

(क) खरीफ वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में अनुदान पर कृषकों को वितरित संकर धान, मक्का, ज्वार एवं बाजरा के बीजों के वितरण का 10 प्रतिशत सत्यापन रेण्डम के आधार पर करा लिया जाये।

(ख) बीज विक्रय केन्द्रों द्वारा किसानों को वितरित बीज का सत्यापन रेण्डम आधार पर वितरण रजिस्टर के क्रम संख्या-4, 14, 24, 34, 44 ---- पर अंकित कृषकों से रेण्डम आधार पर पूछताछ कर किया जा सकता है अन्यथा की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा भी अपने स्तर से रेण्डम सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है।

(ग) उक्त सत्यापन में मुख्यत: कृषकों द्वारा क्रय किए गए संकर बीजों की दर, मात्रा एवं प्रजाति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जानी होगी।

(घ) उक्त सत्यापन कृषि विभाग से इतर अन्य विभाग के अधिकारियों से करायी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सत्यापन रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। कतिपय रिपोर्टस एक पृष्ठ की हैं जिसमें मात्र सत्यापन सही पाने की संस्तुति की गयी है तथा कतिपय रिपोर्टो के साथ सत्यापन आख्या संलग्न की गयी हैं किन्तु इसमें आपके द्वारा कोई संस्तुति नहीं की गयी है। कतिपय रिपोर्टो का सत्यापन कृषि विभाग के अधिकारियों से कराया गया है। अत: उपलब्ध करायी गयी रिपोर्टो में एक-रूपता नहीं है।

3. अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्ट में स्पष्टता एवं एकरूपता बनाये रखने के लिए संलग्न प्रारूप-1 एवं 2 पर वर्ष 2013-14 व 2014-15 की पृथक-पृथक रिपोर्ट अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके ई-मेल dirag@nic.in पर एवं हार्ड कापी सहित दिनांक 28 जनवरी, 2017 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को agrisection 2 @ g mail.com के ई-मेल पर भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि (निर्धारित प्रारूप सहित)

भवदीया,

(पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

मूल पर नहीं।

संख्या: 03/2017/269(1)/12-2-2017 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निर्धारित प्रारूप सहित कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने जनपद से संबंधित जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर उक्त सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर संकलित कराकर कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश को भी तत्काल उपलब्ध करायें। प्राप्त सूचनायें संकलित कर समेकित रूप से तैयार कराकर स्पष्ट आख्या/संस्तुति शासन को दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक: यथोपरि। (प्रारूप-1 एवं 2)

आज्ञा से,

(पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ष 2014-15 की सत्यापन रिपोर्ट

जनपद का नाम: ----------

प्रारूप-1

क्र0सं0	आपूर्तित बीज मात्रा (कुंतल में)	आपूर्तित बीज का मूल्य (रूपये में)	वितरित बीज की मात्रा (कुंतल में)	वितरित बीज का मूल्य (रूपये में)	वितरित बीज की सत्यापित मात्रा @ 10 प्रतिशत (कुंतल में)	सत्यापित बीज मूल्य (रूपये में)	अवशेष बीज (कुंतल में)	अवशेष बीज का मूल्य (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप-2

क्र0सं0	कृषक का नाम/पिता का नाम	ग्राम का नाम, ब्लाक का नाम	वितरक एजेन्सी का नाम, रजिस्टर में अंकित नम्बर/पेज नम्बर सहित	वितरण की तिथि	वितरित बीज की मात्रा (कुंतल में)	वितरित बीज की कुल धनराशि (प्रजातिवार दर सहित)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8

सत्यापन आख्या:

उपरोक्त कृषकों को वितरित संकर बीजों की दर, मात्रा एवं प्रजाति सत्यापन में सही पायी गयी।

जिलाधिकारी का नाम
हस्ताक्षर/मुहर सहित

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ष 2013-14 की सत्यापन रिपोर्ट

जनपद का नाम: ----------

प्रारूप-1

क्र0सं0	आपूर्तित बीज मात्रा (कुंतल में)	आपूर्तित बीज का मूल्य (रूपये में)	वितरित बीज की मात्रा (कुंतल में)	वितरित बीज का मूल्य (रूपये में)	वितरित बीज की सत्यापित मात्रा @ 10 प्रतिशत (कुंतल में)	सत्यापित बीज मूल्य (रूपये में)	अवशेष बीज (कुंतल में)	अवशेष बीज का मूल्य (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप-2

क्र0सं0	कृषक का नाम/पिता का नाम	ग्राम का नाम, ब्लाक का नाम	वितरक एजेन्सी का नाम, रजिस्टर में अंकित नम्बर/पेज नम्बर सहित	वितरण की तिथि	वितरित बीज की मात्रा (कुंतल में)	वितरित बीज की कुल धनराशि (प्रजातिवार दर सहित)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8

सत्यापन आख्या:

उपरोक्त कृषकों को वितरित संकर बीजों की दर, मात्रा एवं प्रजाति सत्यापन में सही पायी गयी।

जिलाधिकारी का नाम
हस्ताक्षर / मुहर सहित

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।